(30)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 673–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–2–2015 पारित द्वारा कलेक्टर जिला होशांगाबाद, प्रकरण कमांक 2/अ–27/2014–15.

.....

कैलाश कुमार पालीवाल
आत्मज स्व0सेठ शिवप्रसाद पालीवाल,
निवासी ग्राम सांगाखेडा खुर्द
तहसील बाबई जिला होशांगाबाद

..... आवेदक

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर जिला होशंगाबाद
2–उमेश कुमार पालीवाल
आत्मज स्व0सेठ शिवप्रसाद पालीवाल
3–महेश कुमार पालीवाल
आत्मज स्व0सेठ शिवप्रसाद पालीवाल
दोनों निवासीगण ग्राम सांगाखेडा खुर्द
तहसील बाबई जिला होशांगाबाद
4–तहसीलदार बाबई

.....अनावेदकगण

श्री मेघदीप गौर, अभिभाषक– आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 11/7/2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला होशांगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–02–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक जिला एवं सत्र न्यायालय होशंगाबाद द्वारा व्यवहार वाद कमांक 6–ए/1998 में पारित आदेश दिनांक 29–6–2002 से उभयपक्ष के मध्य समझौते के आधार पर आज्ञाप्ति पारित कर तद्नुसार प्रश्नाधीन भूमि में अंश निर्धारण करने हेतु पत्र कमांक 125/सी.जे./2012 दिनांक 22–12–2012 से तहसीलदार होशंगाबाद को लिखा गया । उक्त पत्र के तारतम्य में तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 12/अ–27/12–13 दर्ज कर अंश निर्धारण कर प्रतिवेदन दिनांक 5–2–2013 द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक जिला एवं सत्र न्यायालय होशंगाबाद को भेजा गया । उक्त प्रतिवेदन के विरूद्ध आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष स्वप्रेरणा से निगरानी प्रस्तुत की गई । कलेक्टर द्वारा दिनांक 4–2–2015 को आदेश पारित कर संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी के अधिकार उन्हें नहीं होने से निगरानी निरस्त की गई । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) कलेक्टर को संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत स्वप्रेरणा से निगरानी के अधिकार प्राप्त है, अतः कलेक्टर को आवेदक की ओर से प्रस्तुत स्वप्रेरणा से निगरानी में हस्तक्षेप कर तहसीलदार का प्रतिवेदन निरस्त करना चाहिये था, परन्तु उनके द्वारा क्षेत्राधिकार नहीं होने के आधार पर स्वप्रेरणा से निगरानी निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(2) तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 द्वारा पारित डिक्री के पालन में राजस्व निरीक्षक एवं ग्राम पटवारी को अंश निर्धारण कर फर्द बटांन प्रस्तुत करने निर्देश दिये गये हैं तथा राजस्व निरीक्षक और ग्राम पटवारी द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि व्यवहार न्यायालय की डिक्री के अनुरूप अंश निर्धारण किया जाना संभव नहीं है, इसके बावजूद भी व्यवहार न्यायालय के आदेश के विपरीत अंश निर्धारण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में तहसीलदार द्वारा विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है ।

(3) तहसीलदार बाबई द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 24–12–12 को प्रकरण में आदेशिका लिखी जाकर दिनांक 24–1–2013 की तिथि नियत की गई । इसके पूर्व ही राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया है कि व्यवहार न्यायालय की डिक्री का पालन किया जाना संभव नहीं है, इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा मनमाने तरीके से इश्तिहार में 59.23 एकड़ भूमि का उल्लेख किया गया और डिक्री में वर्णित खसरा नम्बरों में से कुछ खसरा नम्बरों का उल्लेख नहीं किया गया ।

(4) आवेदक पर इश्तिहार की विधिवत् तामीली नहीं हुई है । फर्द बटांन आपत्ति भी तहसीलदार द्वारा नहीं बुलाई गई है और उनके द्वारा जल्दबाजी में अंश निर्धारण प्रतिवेदन तैयार किया गया है ।

(5) व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 1 एवं उसके पुत्रों को 21.27 एकड़ दिये जाने का उल्लेख किया गया है और उनकी भूमि मंदिर वाले खेत से लगी होकर सर्वे नम्बर 193/3, 145/1, 245/2, 251/1 एवं सर्वे नम्बर 104/1 29 एकड़ है तथा जो क्षीर कहलाती है, परन्तु तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन तैयार किया गया है उसमें सर्वे नम्बर 193/3, 107/2 एवं सर्वे नम्बर 72 कुल रकबा 21.27 एकड़ ही उमेशकुमार को देने का उल्लेख किया गया है । स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय की डिक्री के विपरीत प्रश्नाधीन भूमि का अंश निर्धारण किया गया है जो कि घोर अनियमित एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(6) व्यवहार न्यायालय की डिक्री में मध्यप्रदेश शासन की भूमि का वितरण किये जाने का उल्लेख किया गया है क्योंकि सर्वे नम्बर 245/2 रकबा 0.324 हेक्टेयर भूमि शासन के नाम दर्ज है, जिसे डिक्री में गलत रूप से दर्शाया गया है, इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका कमांक 4653/2016 प्रस्तुत की गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कलेक्टर होशंगाबाद को निर्देशित किया गया कि मध्यप्रदेश शासन के नाम की भूमि को डिक्री से हटाये जाने की कार्यवाही की जाये ।

(7) शासकीय भूमि का गलत तरीके से डिक्री में उल्लेख करने के संबंध में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक के न्यायालय में दावा प्रचलित है ।

(8) उपरोक्त आशय की आपत्तियॉ तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी तहसीलदार द्वारा त्रुटिपूर्ण अंश निर्धारण पत्रक तैयार किया गया है जिसे निरस्त किया जाये ।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय से पत्र प्राप्त होने पर व्यवहार न्यायालय की डिक्री के अनुरूप अंश निर्धारण तैयार कर प्रस्तुत करने के लिये राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को निर्देशित किया गया है और राजस्व निरीक्षक एवं ग्राम पटवारी द्वारा स्थल निरीक्षण उपरांत इस आशय का प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया है कि व्यवहार न्यायालय के डिक्री के अनुरूप अंश निर्धारण किया जाना संभव नहीं है । इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा अंश निर्धारण करते हुये प्रतिवेदन द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक जिला एवं सत्र न्यायालय होशंगाबाद को प्रस्तुत किया गया है । उक्त अंश निर्धारण प्रतिवेदन में प्रश्नाधीन भूमि का अंश व्यवहार न्यायालय के डिक्री के विपरीत निर्धारित किया गया है, क्योंकि व्यवहार न्यायालय की डिक्री में उमेश कुमार एवं उसके पुत्रों को मिलने वाली भूमि मंदिर वाले खेत से लगी होकर सर्वे नम्बर 193/3, 145/1, 245/2, 251/1 एवं 104/1 रकबा 21.27 एकड़ है तथा जो क्षीर कहलाती है, परन्तु अंश निर्धारण प्रतिवेदन में उमेश कुमार एवं उसके पुत्रों को सर्वे नम्बर 193/3, 107/2 एवं 72 कुल रकबा 21.27 एकड़ भूमि का अंश निर्धारित किया गया है । अतः स्पष्टतः तहसीलदार द्वारा तैयार अंश निर्धारण प्रतिवेदन न्यायालय की डिक्री के विपरीत होकर अवैधानिक एवं अनियमित है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है । जहॉ तक कलेक्टर के आदेश का प्रश्न है, कलेक्टर द्वारा क्षेत्राधिकार जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर आदेश

पारित किया गया है और प्रकरण का गुणदोष पर कोई निराकरण नहीं किया गया है इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–02–2015 एवं तहसीलदार, बाबई द्वारा पारित अंश निर्धारण प्रतिवेदन दिनांक 5–2–2013 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देते हुये व्यवहार न्यायालय की डिक्री के अनुरूप अंश निर्धारण प्रतिवेदन तैयार कर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक जिला एवं सत्र न्यायालय होशंगाबाद को प्रस्तुत करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर